

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

गन्ना समिति सदस्यता एवं उपज बढ़ोत्तरी आवेदन हेतु मात्र 03 दिन अवशेष

नए सदस्य बनने तथा उपज बढ़ोत्तरी की रसीद प्राप्त करने की अंतिम
तिथि 10 अक्टूबर तक है निर्धारित

पेराई-सत्र 2026-27 में 10 अक्टूबर, 2026 तक बनाये गये नये समिति
सदस्यों को गन्ना आपूर्ति की सुविधा होगी अनुमन्य

लखनऊ : 07 अक्टूबर, 2026

प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन नीति व कुशल नेतृत्व में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा प्रदेश की गन्ना समितियों के जो किसान भाई अब तक सदस्य नहीं बन पाए हैं, वे 10 अक्टूबर, 2026 तक नई सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। इस निर्धारित समय-सीमा तक पंजीकृत होने वाले नए सदस्यों को आने वाले पेराई-सत्र में चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने की सुविधा दी जाएगी। जिन किसानों के पास गन्ने की उपज जिले के औसत उपज से अधिक है वे कृषक उपज बढ़ोत्तरी हेतु अपना आवेदन पत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2026 तक जमा कर सकेंगे उन्हीं गन्ना कृषकों को उपज बढ़ोत्तरी का लाभ प्रदान किया जायेगा।

विभाग ने किसानों से अपील की है कि अवशेष बचे 03 दिनों में संबंधित समिति में पहुंचकर अपनी सदस्यता संबंधी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लें। जिन गन्ना कृषकों की उपज जिले की औसत उपज से अधिक है, वे उपज बढ़ोत्तरी हेतु अपना आवेदन पत्र 10 अक्टूबर, 2026 तक समिति में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक आवेदन करने वाले पात्र गन्ना कृषकों को ही उपज बढ़ोत्तरी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

प्रदेश की गन्ना किसानों को सेवा में समर्पित गन्ना विकास विभाग द्वारा किसानों की समस्याओं के त्वरित एवं 24x7 घण्टे समाधान हेतु मुख्यालय स्तर पर टोल-फ्री किसान काल सेंटर 1800-121-3203 स्थापित है, समस्या होने पर किसान भाई काल अवश्य करें।

सम्पर्क सूत्र- अमित शुक्ला

राम यतन/04:30 PM

फोन नम्बर Direct : 0522-2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522-2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं0 : 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल : upssochna@gmail.com,

वेबसाइट : www.information.up.gov.in